

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

क्रमांक:-प1(1)कार्मिक/सु.गा./अनु. पत्रा./20-21/2020/743

दिनांक:- 2/7/2020

विज्ञप्ति

राजस्थान आवासन मण्डल के समस्त वृत्त/खण्ड/उपखण्ड कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्थार्थ सुरक्षा प्रहरी (सिविल) तैनात किये जाने हेतु राजस्थान सहकारी समिति से पंजीकृत समितियों से दिनांक 15.07.2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। सुरक्षा प्रहरी (सिविल) को पारिश्रमिक राशि का भुगतान निम्नानुसार देय होगा :-

क्र. सं.	पारिश्रमिक राशि	साप्ताहिक अवकाश	ई.पी.एफ. 13%	ई.एस.आई. 3.25%	सेवा शुल्क 5% (अधिकतम)	योग	जी.एस.टी. 18%	महायोग
1	6474/-	996/-	842/-	243/-	373/-	8928/-	1607/-	10535/-

(1) आवासन आयुक्त द्वारा सहकारी समितियों को कार्यक्षेत्र आवंटित किया जावेगा, जो समितियों को मान्य होगा। (2) श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा सुरक्षा प्रहरी (सिविल) की पारिश्रमिक दरें बढ़ाये जाने के उपरान्त ही मण्डल द्वारा पारिश्रमिक दरें संशोधित की जावेगी। (3) अनुबंधित सहकारी समितियों को संबंधित कार्यालयों के नियंत्रक अधिकारियों से अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। (4) किसी समिति का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में मण्डल द्वारा समिति की सेवायें बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

सचिव